



2026:AHC:33944-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29867/2025**

राम प्रसाद एवं अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: शुभम द्विवेदी, तन्मय चटर्जी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), नारायण सिंह (कुशवाहा)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बार (न्यायालय) में यह बयान दिया है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, इसलिए वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
2. विद्वान सरकारी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"